न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 61/2018

1 सुखदेव सिंह पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी मूण्डो की ढ़ाणी तन पूनियों की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 फुलसिंह पुत्र चिमनाराम।
2 श्योबक्शाराम पुत्र रूपाराम समस्त जाति जाट निवासीगण धींवा की ढ़ाणी तन पूनियों की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 मोती पुत्र धोकलराम।
4 बीरबल पुत्र धोकलराम समस्त जाति जाट निवासीगण मूण्डो की ढ़ाणी तन पूनियों की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुंझुनू कैम्प ग्राम पंचायत बुगाला मुकदमा उनवानी फुलसिंह बनाम श्योबक्साराम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 प्रार्थना पत्र संख्या 5/2017 निर्णय दिनांक 31.05.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 06.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 5/2007 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 फुलसिंह ने अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के विरूद्व अदालत मातहत के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी. एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 31.05.2018 के द्वारा स्वीकार कर खेत खसरा नम्बर 373 व 377 तथा 378 व खसरा नम्बर 376 सरहद मौजा पूनियां की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ में से 12 फिट चौड़ा रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये। अपीलांट अदालत मातहत के उक्त निर्णय के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का आदेश स्पीकिंग नही है विचारण न्यायालय द्वारा नियम 68 से 71 की पालना नही की गई है। तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नही किया गया है। मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नही की गई है। अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा पूर्व में धारा 251ए का आवेदन संख्या 16/2016 फुलसिंह बनाम प्रभाती देवी पेश किया गया था। जो खारिज करवा लिया गया इस तथ्य को छिपाकर पुन विचाराधीन

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

आवेदन अपीलांट के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अत नया रास्ता नही मांग सकते है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 2008 एस.सी. पेज 930, आर.बी.जे. 2016 पेज 539, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 649, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 423 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 27.10.2017 पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर है पटवारी एवं आई.एल.आर. उपस्थित है, दोनों पक्षों की उपस्थिति है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 में स्पष्ट अंकित किया है कि तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई है। विधि अनुसार आई.एल. आर से भी रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 के अनुसार मौके पर रास्ता चालु है मौके पर वैकल्पिक रास्ता नही होने का तथ्य मौका रिपोर्ट में अंकन है। पूर्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2016 इसलिये खारिज करवाया गया था कि मुण्डो की ढ़ाणी की और से आने वाला रास्ता निकटतम था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1003, आर.आर.टी. 2018–19 पेज 407, आर.एल.डब्ल्यू. 2016(1) पेज 684, आर.एल.डब्ल्यू. 2017(2) पेज 953 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। मौका रिपोर्ट दिनांक 27.10.2017 पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर है पटवारी एवं आई.एल.आर. उपस्थित है, दोनों पक्षों की उपस्थिति है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 में स्पष्ट अंकित किया है कि तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई है। विधि अनुसार आई.एल. आर से भी रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अनुसार मौके पर रास्ता चालु है मौके पर वैकल्पिक रास्ता नही होने का तथ्य मौका रिपोर्ट में अंकन है। पूर्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2016 इसलिये खारिज करवाया गया था कि मुण्डो की ढ़ाणी की और से आने वाला रास्ता निकटतम था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2017(2) रेव– पेज 953 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि'' Rajasthan Tenancy Act. 1955, Sec.251A-Grant of new way - On the report of Tehsildar SDO given order for a new way - There is not other way to reach the main road - Alternate way is with natural impediments and is sandy - Order granting new way is justified. यह न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर